न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–462/2026
अग्रिम जमानत आवेदन सं–480/2026

बल्लम प्रसाद वगैरह बनाम बिहार राज्य

11.06.2026 आवेदक/अभियुक्तगण क्रमशः **1. बललम प्रसाद पे0 स्व0 राधे प्रसाद, 2. अजय कुमार, 3. ब्रजनन्दन कुमार दोनों पे0 बल्लम प्रसाद एवं 4. डबलू कुमार पे0 आजाद प्रसाद**, जो हिलसा थाना काण्ड सं–224/2026 (अन्तर्गत धारा–115(2), 117(2), 352, 109(1), 3(5) बी0एन0एस0 एवं धारा–27 शस्त्र अधिनियम) में अभियुक्त है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता क्रमशः श्री भानु प्रसाद एवं श्री रंजीत कुमार द्वारा प्रचालित किया गया। जमानत आवेदन की सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से श्रीमान् के न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अजय कुमार के विरूद्ध इस केस के अलावे दो अन्य मुकदमा दर्ज है, जिसमें जमानत पर है। अन्य सभी आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्तागण का यह भी कथन है कि आवेदकगण निर्दोष हैं, जिन्हें ग्रामीण राजनीति के तहत गलत अभियोग के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इस वाद का पलटा मुकदमा हिलसा थाना काण्ड सं–225/26 दर्ज है। यह मुकदमा काफी विलंब से दर्ज कराया गया है, जिसका कोई कारण नहीं दिया गया है। सह अभियुक्त संजीत कुमार को बी0पी0नं–199/26 से जमानत दिया गया है। इन तर्को के आलोक में आवेदक अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–115(2), 117(2), 352, 109(1), 3(5) बी0एन0एस0 एवं धारा–27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संदर्भ में यद्यपि इस वाद के अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 25.03.2026 को आवेदक अभियुक्तगण अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक शक्तिवर्धन उर्फ सोनू के साथ गाली–गलौज एवं मारपीट किये थे एवं दिनांक 24.03.2026 को अभियुक्त डब्लू कुमार गोली भी चलाये थे, किन्तु अभियुक्तों के विरूद्ध मारपीट का आरोप विशिष्टया नहीं है एवं वाद दैनिकी में सोनू कुमार का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें वर्णित है कि इनके शरीर पर कठोर व भोथरे पदार्थ से कारित साधारण जख्म है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्तों को 10000/–रू0 एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं तथा धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 के विहित शर्तो के साथ आदेश की तिथि से 28 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने पर जमानत बन्धपत्र दाखिल किये जाने पर विद्वान निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा